रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032025-261680
CG-DL-E-18032025-261680

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1210] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 17, 2025/फाल्गुन 26, 1946
No. 1210] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 17, 2025/PHALGUNA 26, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2025

का.आ. 1223(अ).—जबकि, केंद्रीय सरकार द्वारा तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा तहत नई परियोजनाओं के निर्माण या कार्यकलापों के संचालन या विद्यमान परियोजनाओं या कार्यकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण पर कुछ निर्बंधन लगाए गए थे और उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया था;

और जबकि, केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या का.आ. 1224 (अ), तारीख 28 मार्च, 2020 द्वारा उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-9 के मद 6 और मद 7 को संशोधित किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, रैखिक परियोजनाओं जैसे कि सड़क, पाइपलाइन, आदि के लिए साधारण मिट्टी के निष्कर्षण या स्रोतन या खनन (बॉरोइंग) के लिए और उनके रखरखाव, मरम्मत और आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए बांधों, जलाशयों, वियर, बैराज, नदी और नहरों की ड्रेजिंग और डिसिल्टिंग हेतु पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने से छूट प्रदान करने का उपबंध करते हैं;

और जबकि, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ओए संख्या 160/2020 में नोबल एम. पैकाडा बनाम भारत संघ शीर्षक से तारीख 28 अक्टूबर, 2020 के अपने आदेश द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तारीख 28 मार्च, 2020 की विवादित अधिसूचना पर तीन महीने के भीतर पुनर्विचार करने का निदेश दिया था ;

और जबकि, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन में, गैर-कोयला खनन और नदी घाटी और जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति के परामर्श से, केंद्रीय सरकार ने रैखिक परियोजनाओं के लिए खनन क्षेत्र से साधारण मिट्टी के उत्खनन के लिए उक्त अधिसूचना की प्रयोज्यता को स्पष्ट करने हेतु 8 अगस्त, 2022 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया और निर्दिष्ट खनन क्षेत्र (बौरो एरिया) की पहचान, इसके संचालन, सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा उपायों का पालन और पुनर्विकास के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की और 12 जुलाई, 2023 के एक अन्य कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से, रखरखाव, मरम्मत और आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से बांधों, जलाशयों, वियर, बैराज, नदी और नहरों की ड्रेजिंग और डी-सिल्टिंग के लिए अधिसूचना संख्या का.आ. 1224 (अ), तारीख 28 मार्च, 2020 द्वारा प्रदान की गई पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की अपेक्षा से छूट के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया था।

और जबकि, याचिकाकर्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष नोबल पैकाडा बनाम भारत संघ एवं अन्य शीर्षक से सिविल अपील संख्या 1628-1629/2021 दायर की थी और मामले में हुई सुनवाई के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या का.आ. 3840(अ) तारीख 30 अगस्त 2023 द्वारा उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-9 की मद 6 और मद 7 में इस आशय से संशोधन किया कि इसमें प्रदान की गई छूट इस संबंध में समय-समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं और पर्यावरण सुरक्षा उपायों के अनुपालन के अध्यधीन होगी और तारीख 21 अगस्त, 2023 को एक कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया था, जिसमें संबंधित प्राधिकारियों को तारीख 8 अगस्त, 2022 और 12 जुलाई , 2023 के कार्यालय ज्ञापन में सम्मिलित मानक संचालन प्रक्रियाओं और पर्यावरण सुरक्षा उपायों को प्रवृत्त करने के निदेश दिए गए थे।

और जबकि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 1628-1629/2021 में नोबल एम. पैकाडा बनाम भारत संघ शीर्षक से तारीख 21 मार्च 2024 के अपने निर्णय के माध्यम से समय-समय पर यथा संशोधित उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-9 की मद संख्या 6, को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि "रैखिक परियोजनाएं" पद को परिभाषित नहीं किया गया है और यह बहुत अस्पष्ट है तथा उत्खनन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है, इस प्रकार मद 6 एक पूरी तरह से दिशाहीन और व्यापक छूट प्रदान करने का मामला है जो अपने आप में निरंकुश है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है;

और जब, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों और चिंताओं का समाधान करने के लिए, उक्त अधिसूचना में संशोधन हेतु भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का. आ. 3099 (अ), तारीख 2 अगस्त 2024 द्वारा एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों, से उक्त प्रारूप अधिसूचनाको अतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि, माननीय केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 29810/2024 में सजीव सेबेस्टियन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले से 5 सितम्बर, 2024 के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार को 2 अगस्त, 2024 के प्रारूप अधिसूचना का मलयालम संस्करण प्रकाशित करने का निदेश दिया था, जिसे केन्द्रीय सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट और **परिवेश** वेबसाइट पर साठ दिनों की अवधि के भीतर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए मसौदा अधिसूचना का मलयालम अनुवाद प्रकाशित किया है;

और जबकि, उक्त अधिसूचनाओं के प्रत्युत्तर में विहित अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यव रूप से विचार किया गया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना के, परिशिष्ट-9 में, -

(क) मद 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"6. रैखिक परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी का निष्कर्षण या स्त्रोतन या खनन (बॉरोइंग) परिशिष्ट 14 में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन होगा";

(ख) परिशिष्ट-13 के पश्चात्, निम्नलिखित परिशिष्ट अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'परिशिष्ट- 14

(परिशिष्ट- 9 की मद 6 देखें)

1. रैखिक परियोजनाओं की परिभाषा- परिशिष्ट- 9 की मद 6 और इस परिशिष्ट के प्रयोजन के लिए "रैखिक परियोजनाओं" से अभिप्रेत हैं स्लरी पाइपलाइनों, तेल और गैस परिवहन पाइपलाइन, राजमार्गों या रेलवे लाइनों को बिछाने की परियोजनाएं, जिनके लिए 20,000 घन मीटर की सीमा से अधिक साधारण मिट्टी के निष्कर्षण या स्त्रोतन या खनन (बॉरोइंग) की अपेक्षा होती है और इस अधिसूचना के अधीन पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की अपेक्षा नहीं होती है।

2. रैखिक परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी के निष्कर्षण या स्त्रोतन या खनन (बॉरोइंग) के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय

(1) सभी रैखिक परियोजनाओं के लिए इस परिशिष्ट में निर्धारित मानक प्रचालन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(2) विशेषज्ञ आंकलन समिति, साधारण मिट्टी के निष्कर्षण या स्त्रोतन या खनन (बॉरोइंग) की अपेक्षा वाली परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी देते समय, उन्हें दी जाने वाली पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के भाग के रूप में इस परिशिष्ट में विहित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को सम्मिलित करेगी।

3. मानक प्रचालन प्रक्रिया

1. एक समिति, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलत हैं, (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) पैरा (2) में उल्लिखित विभिन्न मानदंडों के आधार पर किसी विशेष परियोजना के लिए निष्कर्षित,स्त्रोतित या खनित की जा सकने वाली साधारण मिट्टी की मात्रा का निर्णय करेगी:

(क) यदि परियोजना एक से अधिक उप-मंडल में फैली हुई है तो जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि जो जिला स्तर के अधिकारी से नीचे के पद का न हो या उप-मंडल मजिस्ट्रेट (यदि परियोजना एक उप-मंडल तक सीमित है) - अध्यक्ष

(ख) जिला वन अधिकारी या उसका नामित व्यक्ति - सदस्य;

(ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक अधिकारी - सदस्य;

(घ) जिला खनन अधिकारी या सहायक निदेशक या उप निदेशक या भूविज्ञानी - सदस्य-सचिव

2. रैखिक परियोजना, जिसके लिए साधारण मिट्टी का निष्कर्षण या स्त्रोतन या खनन अपेक्षित है, के परियोजना प्रस्तावक साधारण मिट्टी की अपेक्षित मात्रा के लिए समिति को निम्नलिखित प्ररूप में आवेदन करेगा।

समिति को आवेदन करने हेतु प्ररूप

1	*परियोजना का विवरण*		
	(i)	*परियोजना का नाम;*	
	(ii)	*कंपनी/संगठन का नाम*	
	(iii)	*रजिस्ट्रीकृत पता*	
2	*पत्राचार का पता*		
	(i)	*परियोजना प्रस्तावक का नाम*	
	(ii)	*पदनाम*	
	(iii)	*पता*	
	(iv)	*पोस्टल इंडेक्स कोड*	
	(v)	*ई-मेल आईडी*	
	(vi)	*मोबाइल नंबर*	
	(vii)	*फैक्स नंबर,*	

3	*रैखिक परियोजना का प्रकार:*		
4	*रैखिक परियोजना का स्थान:*		
	(i)	*प्लॉट या सर्वे या खसरा नंबर;*	
	(ii)	*गांव;*	
	(iii)	*तहसील;*	
	(iv)	*जिला;*	
	(v)	*राज्य;*	
	(vi)	*पिन कोड*	
	(vii)	*परियोजना या गतिविधि स्थल के अक्षांश और देशांतर*	
	(viii)	*भारत सर्वेक्षण टोपो शीट संख्या*	
	(ix)	*टोपो शीट की प्रति;*	
5	*यदि परियोजना एकाधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है, तो उसका विवरण*		
	(i)	*राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या जिनमें परियोजना क्रियान्वित की जाएगी*	
	(ii)	*उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण जहां परियोजना स्थित है*	
6	*क्या प्रस्तावित परियोजना सीमावर्ती राज्यों में स्थापित की जाएगी: (हां/नहीं) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा दें*		
7	*उस स्थल की अवस्थिति जहां से खनित मिट्टी निकाली जानी है*		
	(i)	*प्लॉट या सर्वे या खसरा नंबर;* *a. गांव;* *b. तहसील;* *c. जिला;* *d. राज्य;* e. *पिन कोड*	
	(ii)	*साइट के अक्षांश और देशांतर*	
	(iii)	*भारतीय सर्वेक्षण विभाग टोपो शीट संख्या*	
	(iv)	*टोपो शीट की प्रतिलिपि*	
	(v)	*दूरी मीटर/किलोमीटर में*	
8	*कुल साधारण मिट्टी की आवश्यकता (घन मीटर में:*		

स्थान	*सामग्री का प्रकार (रेत/मिट्टी/साधारण मिट्टी)*	*प्रतिदिन की मात्रा (टन में)*	*परियोजना स्थल से निष्कर्षण स्थल की दूरी जहां सामग्री का उपयोग किया*	*परिवहन का साधन*	*निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त पद्धति/उपकरण*

				जाएगा (किमी में)		
	साइट 1					
	साइट 2					
	साइट 3					
9	*खनित गड्ढों की कुल संख्या:*					
10	*हॉल रोड की योजनाबद्ध लंबाई (मीटर):*					
11	*भण्डार के लिए निर्धारित भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर):*					
12	*सुरक्षा उपायों के साथ स्टैकिंग व्यवस्था का विवरण*					
13	*यदि वन भूमि शामिल है: हाँ/नहीं*					
	(i) *सैद्धांतिक (चरण-I) अनुमोदन की तिथि;* (ii) *अपवर्तित क्षेत्र;*					
	(iii) *यदि अंतिम (चरण-II) अनुमोदन प्राप्त हो गया है: और फ़ाइल संख्या*					
14.	*(i)* पेड़ों की कटाई, यदि कोई हो :					
	(ii) परियोजना (यदि वनभूमि शामिल नहीं है) के लिए काटे गए पेड़ों की संख्या;					
	(iii) पेड़ काटने और पेड़ लगाने का ब्यौरा					
15.	(i) वर्तमान भूमि उपयोग का ब्यौरा हेक्टे. में					
	(ii) कृषि क्षेत्र;					
	(iii) बेकार/बंजर क्षेत्र;					
	(iv) चराई/सामुदायिक क्षेत्र;					
	(v) सतही जल निकाय;					
	(vi) मानव-बस्तियां;					
	(vii) उद्योग;					
	(viii) वन;					
	(ix) मैंग्रोव;					
	(x) समुद्री क्षेत्र;					
	(xi) अन्य (निर्दिष्ट करें);					
	(xii) कुल					
16.	भूमि स्वामित्व पैटर्न (खनित मिट्टी के प्रस्तावित निष्कर्षण से पूर्व) हेक्टे. में [वन भूमि; निजी भूमि; सरकारी भूमि; राजस्व भूमि; अन्य भूमि; कुल भूमि]					
	(i) स्वामित्व वाली या पट्टे पर दी गई					
	(ii) यदि स्वामित्व वाली, तो तत्संबंधी ब्यौरा (स्वामित्व का प्रमाण संलग्न करें)					
	(iii) यदि पट्टे पर दिया गया है, तो तत्संबंधी ब्यौरा					

<table>
<tr><td></td><td>(स्वामी के साथ किए गए करार को उपाबंध के रूप में लगाएं)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(iv) अभिन्यास योजना
(रेखाचित्र उपाबंध के रूप में लगाएं)</td><td></td></tr>
<tr><td>17.</td><td>रेखीय परियोजना के तटीय विनियमन ज़ोन क्षेत्र में अवस्थित होने के मामले में :
(i) राज्य तटीय ज़ोन प्रबंधन प्राधिकरण की संस्तुति;
(ii) रेखीय परियोजना के लिए तटीय विनियमन ज़ोन संबंधी स्वीकृति प्रति।</td><td></td></tr>
<tr><td>18.</td><td colspan="2">भू-सुधार का ब्यौरा : कुल वनीकरण योजना</td></tr>
<tr><td>19.</td><td colspan="2">पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय संवेदनशीलता (मिट्टी के निष्कर्षण वाले स्थल से 10 किमी के दायरे में) :</td></tr>
<tr><td></td><td>(i) पारिस्थितिक संवेदनशीलता का ब्यौरा</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता का ब्यौरा</th><th>नाम</th><th>निर्माण-स्थल से दूरी (किमी)</th><th>अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता : (गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र, अति गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र, वन्यजीव गलियारे, आदि)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>(ii) परियोजना प्रस्तावक का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>हस्ताक्षर</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>तारीख</td><td></td></tr>
</table>

(3) समिति पैरा 4 में उपवर्णित मानदंडों के आधार पर आवेदन की परीक्षा करेगी और परियोजना प्रस्तावक को साधारण मिट्टी की अनुमेय मात्रा के बारे में सूचित करेगी जिसे आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर एक या अधिक चिह्नित स्थलों से निकाला जा सकता है।

4. पर्यावरण सुरक्षोपायों संबंधी मानदंड

(1) **सामान्य सुरक्षोपाय –** (क) परियोजना प्रस्तावक, सामग्री की उपयुक्तता का आकलन करने के बाद निजी भूमि के मामले में व्यक्तिगत स्वामियों और सरकारी भूमि के मामले में संबंधित विभाग के परामर्श से खनित क्षेत्र स्थलों को अभिज्ञात करेगा।

(ख) खनित क्षेत्र, कृषि या खेती योग्य भूमि में नहीं होगा और यह अधिमानत: बंजर भूमि, गाद वाले तालाबों और अन्य सरकारी भूमि में होगा और यदि किसी कारण से उन भूमि में मिट्टी उपलब्ध नहीं है, तो केवल अंतिम विकल्प के रूप में कृषि या खेती योग्य भूमि से मिट्टी प्राप्त की जा सकती है।

(ग) यदि सरकार के प्राधिकारी विशेषकर जल की अल्पता या अभाव वाले क्षेत्र में तालाब और जल निकाय बनाने या विकसित करने का निर्णय लेते हैं तो ऐसे मामलों में प्रयोक्ता अभिकरणों द्वारा इन तालाबों या जल निकायों की खनित मिट्टी का राजमार्ग क्षेत्र के तटबंध बनाने संबंधी प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(2) **सामान्य मिट्टी का निष्कर्षण या निकाला जाना या खोदा जाना, निम्नलिखित क्षेत्रों में टाला जाना चाहिए -**

(i) टो रेखा के निकट की भूमि;

(ii) सिंचित कृषि भूमि और ऐसी भूमि से खुदाई किए जाने की आवश्यकता के मामले में, ऊपरी मिट्टी को संचित करके परिरक्षित किया जाएगा;

(iii) चरागाह भूमि;

(iv) रिजर्व वन, संरक्षित वन, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण रिजर्व, आर्द्रभूमि जैसे पर्यावरणीय संवेदी क्षेत्रों से एक किलोमीटर तक

(v) अस्थिर पहाड़ की ढाल;

(vi) जल निकाय;

(vii) धाराएं और रिसाव वाले क्षेत्र;

(viii) दुर्लभ पौधों और पशु प्रजातियों के आश्रय क्षेत्र;

(ix) सर्वाधिक नर्म चट्टानों वाले क्षेत्र।

(3) **सामान्य मिट्टी का निष्कर्षण या निकाला जाना या खोदा जाना, निम्नलिखित क्रम में होगा -**

(i) आस-पास की अन्य सड़क निर्माण परियोजनाओं से उपलब्ध खनित सामग्री;

(ii) सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् तालाबों, झीलों, नदियों और नहरों के तलकर्षण प्रचालन से;

(iii) बंजर भूमि या अधिकृत मार्ग वाली सड़क के बाहर वृक्ष आवरण के बिना वाली भूमि से;

(iv) भूमि का उत्खनन करके और भूमि स्वामी की पसंद के रूप में और स्थानीय प्राधिकरण की सहमति से नए जल कुंड या तालाब बनाना;

(v) प्रस्तावित पुलियों के उत्खनन और प्रस्तावित अधिकृत मार्ग में खनित सामग्री के पुन:उपयोग से;

(vi) फ्लाई-ऐश का उपयोग, सुरक्षित लैंडफिल से निष्क्रिय ठोस अपशिष्ट तथा निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का उपयोग;

(vii) अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों से दानेदार गाद;

(viii) कृषि भूमि से इस शर्त के अध्यधीन कि उपजाऊ ऊपरी मिट्टी का पृथक रूप से भंडारण किया जाए तथा पौधरोपण और कृषि के लिए इसका पुन:उपयोग किया जाए।

(4) **निष्कर्षण के लिए नियत क्षेत्र की विशिष्टता -**

(i) निष्कर्षण या खोदे जा रहे गड्ढे, एक तरफ से सड़क की मध्य रेखा के समानांतर एंव आकार में आयताकार होने चाहिए;

(ii) भावी विकास कार्यों पर उचित ध्यान देने के पश्चात्, अधिकृत मार्ग के किनारे से 5 मीटर के अंदर कोई निष्कर्षण या गड्ढे नहीं खोदे जाने चाहिए;

(iii) निष्कर्षण या खनित गड्ढ़ों, जिनके लिए अन्य शर्तें अनुमत हैं, में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पूर्ण रूप से जल की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए और कुशल जल निकासी सुनिश्चित करने के लिए खनित गड्ढों के ऊपरी भाग का स्तर, जहां तक संभव हो, निकटतम क्रॉस ड्रेन, यदि कोई हो, की ओर ढलान में होना चाहिए और क्रॉस ड्रेन के ऊपरी भाग से निचले स्तर पर नहीं होना चाहिए।

(iv) जब अस्थायी रूप से अधिग्रहित खेती योग्य भूमि से मिट्टी का खनन आवश्यक हो जाता है, तो खनित मिट्टी के गड्ढों की गहराई 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और 150 मि.मी. की गहराई तक ऊपरी मिट्टी को निकाल कर इसका पृथक ढेर बनाना चाहिए, इसके बाद, मिट्टी को अधिकतम 1350 मिमी की गहराई तक खोदा जा सकता है तथा इसका उपयोग तटबंध बनाने में किया जा सकता है एवं ऊपरी मिट्टी को जमीन पर पुन: फैलाया जाना चाहिए।

(v) खनित गड्ढों के संबंध में मौजूदा निर्माण संबंधी कोड या मैनुअल में निर्धारित दिशानिर्देशों या मानक प्रचालन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(5) **स्थल विशिष्ट मापदण्ड तथा पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय-**

(i) खनित गड्ढे से 150 मि.मी. तक ऊपरी मिट्टी को हटा दिया जाएगा और इसे एक सुरक्षित विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधिकतम 2 मीटर की ऊंचाई पर भंडार के रूप में संग्रहीत किया जाएगा और पार्श्व ढलान 1:2 (ऊर्ध्वाधर:क्षैतिज) से अधिक नहीं होगी और ऊपरी मिट्टी का पुन: उपयोग वृक्षारोपण और खेती आदि के लिए किया जाएगा।

(ii) मौजूदा जमीनी स्तर से 1.5 मीटर की गहराई तक मिट्टी का खनन किया जाना चाहिए।

(iii) संपूर्ण खण्ड में सतत् रूप से मिट्टी का का खनन नहीं किया जाएगा।

(iv) अधिकतम 300 मीटर तक के अंतराल पर 8 मीटर से कम चौड़ाई वाली मेडें छोड़ी जाएंगी।

(v) जल निकासी की सुविधा के लिए, यदि आवश्यक हो, तो छोटी नालियों को मेड़ों के बीच से गुजारा जाएगा।

(vi) वह स्थान जहां पर निजी स्वामी अपने खेतों को समतल करना चाहते हैं, वहां खुदाई अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक या आसपास के खेतों के स्तर तक की जानी चाहिए।

(vii) किसी सतही जल निकाय के निकट स्थित खनित क्षेत्र तट के अग्रिम हिस्से अथवा बाढ़ के उच्च स्तर से न्यूनतम 15 मीटर की दूरी, जो भी अधिकतम हो, पर होगा।

(viii) खुदाई पूरी होने के तुरंत बाद मानव बस्तियों के पास खनित गड्ढों को फिर से भरा जाएगा। यदि निष्कर्षित अपशिष्ट का ढ़ेर लगाया जाता है, तो उसे एकत्रित ऊपरी मिट्टी की परत से ढ़क दिया जाएगा।

(ix) मार्गरेखा के सीध में गड्ढों को खोदने नहीं देना चाहिए। यदि अपरिहार्य हो, तो खनित गड्ढे अधिकृत मार्ग की सीमा से न्यूनतम 5 मीटर की दूरी पर होने चाहिए।

(x) इसके अलावा, स्थिरता को ध्यान में रखते हुए तटबंध के शीर्ष से लंबवत दूरी में अपेक्षित न्यूनतम 10 मीटर की चौड़ाई के भीतर कोई गड्ढा नहीं खोदा जाएगा।

5. सूचना प्रस्तुत करना

परियोजना प्रस्तावक समय-समय पर केंद्रीय सरकार या समिति द्वारा अपेक्षित ऐसी जानकारी या रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जैसी वह निदेशित करे।

(6) खनित क्षेत्रों का पुनर्विकास करना-

(1) परियोजना प्रस्तावक पुन:बहाली प्रक्रिया के माध्यम से एक स्थिर स्थिति में खनित गड्ढों को भरकर और खनित गड्ढों को लगभग सड़क की सतह के स्तर तक क्रमिक तरीके से भरकर आम जनता को सुरक्षित रूप से प्रवेश करने में सक्षम बनाने हेतु खनित गड्ढे वाले स्थलों को एक सुरक्षित और निश्चित क्षेत्र के रूप में पुनर्बहाल करेंगे।

(2) खनित क्षेत्रों को निम्नानुसार उपयुक्त विकल्पों का प्रयोग करके पुन:बहाल किया जाएगा :

(i) खनित गड्ढों को खराब निर्माण अपशिष्ट (अनुपयोगी सामग्री) से भरा जाएगा और सतह को टर्फिंग या वनस्पति से ढक दिया जाएगा और जहां यह संभव नहीं है, वहां खुदाई से बनी ढलान को समतल किया जाना चाहिए और गड्ढों को इस तरह से भरा जाना चाहिए कि ये लगभग मूल जमीन की सतह की तरह प्रतीत हो।

(ii) कार्यों के निष्पादन के दौरान, परियोजना प्रस्तावक सामग्री के ढेर लगाते समय पेड़ों का संरक्षण सुनिश्चित करेंगे; पानी के बहाव को सुकर बनाने और वनस्पति को प्राकृतिक रूप से उगने हेतु स्ट्रिपिंग सामग्री को फैला देंगे; पूर्व के प्राकृतिक जल निकासी प्रवाह की पुन:बहाली करेंगे; स्थल की दशा में सुधार करेगें; पानी के अपवाह को एकत्रित करने के लिए खाई खोदेगें; और जहां संभव हो वहां वृक्षारोपण किया जा सकेगा या जल भंडारण के लिए गड्ढे बनाए जा सकेंगे।

(iii) यदि क्षेत्र में वनीकरण किया जाना है तो वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए उपयुक्त स्थानिक पौधों की प्रजातियों का चयन स्थानीय वन विभाग के परामर्श से किया जाना चाहिए और उनकी नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए और अपेक्षित होने पर खराब हो चुके पेडो को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

(iv) परियोजना प्रस्तावक विभिन्न चरणों अर्थात स्थान (परियोजना-पूर्व) से सामग्री का उपयोग करने से पहले, खनित क्रियाविधियों (निर्माण चरण) की अवधि के लिए और पुनर्वास के पश्चात् (विकास के पश्चात्), क्षेत्र की खुदाई करने से पूर्व और पश्चात् की स्थिति का पता लगाने इत्यादि के फोटोग्राफों का रिकॉर्ड रखेगा।

(7) सामान्य मिट्टी का निष्कर्षण, स्रोतन या खुदाई की निगरानी -

(1) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय सरकार रैखिक परियोजना के लिए सामान्य मिट्टी का उत्खनन, स्रोतन, खुदाई से पहले, उसके दौरान और बाद में आवधिक निगरानी करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस परिशिष्ट में निर्धारित आवश्यक पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा गया है।

(2) रैखिक परियोजना के लिए सामान्य मिट्टी के निष्कर्षण या स्रोतन या खनन की निगरानी तब तक की जाएगी जब तक कि निष्कर्षण पूरा नहीं हो जाता है।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत एक अधिकारी स्थल का निरीक्षण करेगा और उस स्थल को सही तरीके से पुन:विकसित किया जाना सुनिश्चित करने के पश्चात् एक समापन रिपोर्ट प्रदान करेगा।

(4) समापन रिपोर्ट पूर्व और पश्चात् के फोटोग्राफों के साथ तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत की जाएगी और उसके पश्चात्, परियोजना की निगरानी अपेक्षित नहीं होगी।

[फा.सं. आईए3-22/5/2024-आईए. III]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में तारीख 14 सितंबर, 2006 के का.आ. 1533(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और इस अधिसूचना में अंतिम संशोधन तारीख 29 जनवरी, 2025 के का.आ. 523(अ) द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ENIRONMENT, FORESTAND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2025

S.O. 1223(E).—WHEREAS the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), (*hereinafter referred to as the said notification*) imposed certain restrictions on constructions of new projects or activities or expansion or modernisation of existing projects or activities and require prior environmental clearance before undertaking such projects or activities covered under the Schedule to the said notification;

AND WHEREAS the Central Government *vide* notification number S.O. 1224(E), dated the 28th March, 2020 amended the items 6 and 7 of Appendix-IX of the said notification, *inter alia*, to provide exemption from obtaining the prior environmental clearance for extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for linear projects such as roads, pipelines, etc., and for dredging and desilting of dams, reservoirs, weirs, barrages, river and canals for the purpose of their maintenance, upkeep and disaster management;

AND WHEREAS the National Green Tribunal, *vide* its order dated the 28th October, 2020 in O.A. No. 160 of 2020 titled Noble M. Paikada vs. Union of India, directed the Ministry of Environment, Forests and Climate Change to revisit the impugned notification dated the 28th March, 2020 within three months;

AND WHEREAS in compliance of the order of the National Green Tribunal, the Central Government in consultation with the Expert Appraisal Committee relating to the non-coal mining and river valley and hydro-electric projects, issued an Office Memorandum dated the 8th August, 2022 to clarify the applicability of the said notification for the excavation of ordinary earth from borrow area for linear projects and issued a standard operating procedure for borrow area identification, its operation, safety, environmental safeguards to be observed and redevelopment and *vide* another Office Memorandum dated the 12th July, 2023, issued a clarification regarding the exemption from the requirement of prior environmental clearance provided *vide* notification number S.O. 1224(E), dated the 28th March, 2020 for dredging and de-silting of dams, reservoirs, weirs, barrages, river and canals for the purpose of their maintenance, upkeep and disaster management;

AND WHEREAS the petitioner had filed a Civil Appeal No. 1628-1629/2021 titled Noble Paikada vs Union of India and Ors., before the Supreme Court and based on the hearings in the matter, the Central Government *vide* notification number S.O. 3840(E), dated the 30th August 2023 amended items 6 and 7 of Appendix-IX to the said notification, to the effect that the exemption provided therein shall be subject to the compliance of standard operating procedures and environmental safeguards issued in this regard from time to time and also issued an Office Memorandum dated the 21st August, 2023, with directions to the authorities concerned to enforce the standard

operating procedures and environmental safeguards covered in the Office Memoranda dated the 8th August, 2022 and 12th July, 2023.

AND WHEREAS the Supreme Court *vide* its judgment dated the 21st March 2024 in Civil Appeal Nos. 1628-1629 of 2021 titled Noble M. Paikada Vs Union of India has struck down item 6 of the Appendix-IX to the said notification, as amended from time to time, on the grounds that the term "linear projects" is not defined and is very vague and the process to be adopted for excavation has not been set out, thus, item 6 is a case of completely unguided and blanket exemption which is, per se, arbitrary and violative of article 14 of the Constitution of India;

AND WHEREAS in order to address all the issues and concerns raised by the Supreme Court, a draft notification for amending the said notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.3099(E), dated the 2nd August, 2024, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the Public;

AND WHEREAS the High Court of Kerala at Ernakulum in WP(C) No. 29810 of 2024 titled Sajeev Sebastian and Anr. Vs. Union of India and Ors., *vide* order dated the 5th September, 2024 directed the Central Government to publish the Malayalam version of the draft notification dated the 2nd August, 2024 which the Central Government in compliance of the order of the High Court has published the Malayalam translation of the draft notification for seeking public comments within a period of sixty days on the website of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and PARIVESH website;

AND WHEREAS the objections and suggestions received in response to the said notifications within the specified period have been duly considered by the Central Government.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, namely:—

In the said notification, in Appendix-IX,—

(a) for item 6 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

"6. Extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for the linear projects subject to the compliance of the conditions set out in Appendix XIV.";

(b) after Appendix-XIII, the following Appendix shall be inserted, namely:—

'Appendix–XIV

(*See item 6 of Appendix-IX*)

1. Definition of linear projects.— For the purpose of item 6 of Appendix-IX and this Appendix, "linear projects" means the projects of slurry pipelines, oil and gas transportation pipeline, highways or laying of railway lines, which require extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth above the threshold of 20,000 cubic metre and does not require prior environment clearance under this notification.

2. Environmental safeguards for extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for linear projects.—

(1) All Linear projects shall follow the standard operating procedure set out in this Appendix.

(2) The Expert Appraisal Committee shall, while granting prior environment clearance for the projects requiring extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth, include the environmental safeguards prescribed in this Appendix as part of the prior environmental clearance granted to them.

3. Standard operating procedure.—

(1) A Committee consisting of the following members (hereinafter referred to as the Committee) shall decide the quantum of ordinary earth that can be extracted, sourced or borrowed for a particular project based on the different criteria mentioned in paragraph (2) namely:—

(a) District Collector or District Magistrate or his authorised representative not below the rank of a district level Officer, in case the project is spread in more than one sub-division, or the Sub-Divisional Magistrate (if the project is restricted to one sub-division) —Chairman;

(b) District Forest Officer or his nominee —Member;

(c) an Officer of the State Pollution Control Board authorised by the Chairman of the State Pollution Control Board —Member;

(d) District Mines Officer or Assistant Director or Deputy Director or Geologist —Member-Secretary.

(2) The project proponent of the linear project, which requires extraction or sourcing, or borrowing of ordinary earth, shall make an application in the following Form to the Committee for the required quantity of ordinary earth.

FORM

PROFORMA FOR MAKING APPLICATION TO THE COMMITTEE

1.	Details of the project—	
	(i) Name of the project	
	(ii) Name of the company/ organisation	
	(iii) Registered address	
2.	Address for the correspondence—	
	(i) Name of the project proponent	
	(ii) Designation	
	(iii) Address	
	(iv) PIN code	
	(v) e-mail ID	
	(vi) Mobile No	
	(vii) Fax No.	
3.	Type of the linear project	
4.	Location of the linear project—	
	(i) Plot or Survey or Khasra number	
	(ii) Village	
	(iii) Tehsil	
	(iv) District	
	(v) State	
	(vi) PIN code	
	(vii) Latitudes and longitudes of the project or activity site	
	(viii) Survey of India Topo Sheet number	
	(ix) Copy of Topo Sheet	
5.	If project is executed in multiple States/Union territory, details thereof—	
	(i) Number of States/Union territory in which project will be executed	
	(ii) details of all the States/Union Territory where the project is located	
6.	Whether the project proposed to be located in border states: (Yes/No) if yes details thereof	
7.	Location of the site(s) from where the borrow earth is to be extracted—	
	(i) Plot or Survey or Khasra number; Village Tehsil District State PIN code	
	(ii) Latitudes and longitudes of the site	
	(iii) Survey of India Topo Sheet number	
	(iv) Copy of Topo Sheet	

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">(v) Distance in metre/kilometre</td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="7">Total ordinary earth requirement (in cubic metre—
<table>
<tr><th>Location</th><th>Type of material (sand/clay/ ordinary earth)</th><th>Quantity per day (In tonnes)</th><th>Distance of the site of extraction from the project site where the material shall be used (in kms)</th><th>Mode of Transport</th><th>Method/ Equipment used for extraction</th></tr>
<tr><td>Site 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Site 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Site 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="6">Total number of borrow pits</td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="6">Planned length of haul roads (m)</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="6">Area of land earmarked for stockpile (sqm)</td><td></td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="6">Details of stacking arrangement along with safeguards</td><td></td></tr>
<tr><td>13.</td><td colspan="7">If forest land involved: Yes/No</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">(i) Date of in-principle (Stage-I) approval;</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">(ii) Area diverted</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">(iii) If final (Stage-II) approval obtained and file number</td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td colspan="6">(i) Tree cutting, if any</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">(ii) No. of trees cut for the project (if forest land not involved); and</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">(iii) details of tree cutting and planting of trees</td><td></td></tr>
<tr><td>15.</td><td colspan="6">(i) Present land use breakup in Ha</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">(ii) Agriculture area</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">(iii) Waste/barren area</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">(iv) Grazing/community area;</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">(v) Surface water bodies</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">(vi) Settlements</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">(v) Industrial</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">(vi) Forest</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">(vii) Mangroves</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">(viii) Marine area</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">(ix) Others (specify)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">(x) Total</td><td></td></tr>
<tr><td>16.</td><td colspan="7">Land ownership pattern (prior to the proposed extraction of borrow earth) in Hactare [Forest land; Private land; Government land; revenue land; other land; Total Land]—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">(i) Owned or leased</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">(ii) If owned, details thereof
(attach proof of ownership)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">(iii) If leased, details thereof
(attach agreement with owner as Annexure)</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>(iv) Layout plan (attach drawings as Annexure)</td><td></td></tr>
<tr><td>17.</td><td>In case of linear project being located in Coastal Regulation Zone area—
(i) Recommendation of State Coastal Zone Management Authority
(ii) Copy of the Coastal Regulation Zone clearance for the linear project</td><td></td></tr>
<tr><td>18.</td><td colspan="2">Details of reclamation: Total afforestation plan</td></tr>
<tr><td>19.</td><td colspan="2">Ecological and environmental sensitivity (within 10 Km of site of borrow earth extraction)—</td></tr>
<tr><td></td><td>(i) Details of Ecological Sensitivity</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"><table>
<tr><td>Details of ecological sensitivity</td><td>Name</td><td>Distance from the site (Km)</td><td>Remarks</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Ecological sensitivity: (critically polluted area, severely polluted area, protected area, eco sensitive zones, wildlife corridors, etc.)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>(ii) Name of the project proponent</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Signature</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Date</td><td></td></tr>
</table>

(3) The Committee shall examine the application on the criteria set out in paragraph 4 and shall inform the project proponent about the permissible quantity of ordinary earth which can be extracted from one or more identified sites within forty-five days from the date of receipt of the application.

4. Criteria for environmental safeguards.—

(1) General safeguards.— (a) The project proponent shall identify the borrow area locations in consultation with the individual owners in case of private lands and the Department concerned in case of Government lands after assessing suitability of the material.

(b) The borrow area shall not be from agricultural or cultivable land and it shall be preferably from barren land, silted ponds and other Government lands and in case the earth from those land is not available for any reason the earth from agricultural or cultivable land may be obtained only as a last option.

(c) If the Government's authorities are creating or developing ponds and water bodies especially in a water stressed or scarce area, then, in such cases, the borrowed earth of those ponds or water bodies can be used by the user agencies of highways sector for the purposes of embankments.

(2) The extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth is to be avoided on the following areas.—

(i) lands close to toe line;

(ii) irrigated agricultural lands and in case of necessity for borrowing from such lands, the topsoil shall be preserved in stockpiles;

(iii) grazing lands;

(iv) up to one kilometre from environmentally sensitive areas such as reserve forests, protected forests, sanctuary, National parks, conservation reserve, wetlands

(v) unstable hillsides;

(vi) water-bodies;

(vii) streams and seepage areas;

(viii) areas supporting rare plants and animal species;

(ix) areas with predominant soft rocks.

(3) The extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth shall be in the following order.—

(i) cut material available from other road construction projects nearby;

(ii) from dredging operations of ponds, lakes, rivers and canals after approval from the competent authority;

(iii) from barren land or land without tree cover outside the road right of way;

(iv) by excavating land and creating new water tanks or ponds as choice of land owner and in concurrence of local authority;

(v) from excavation of proposed culverts and reuse of cut materials with in proposed right of way;

(vi) use of fly-ash, inert solid waste from the secured landfills and use of construction and demolition waste;

(vii) granulated sludge from wastewater treatment plants;

(viii) from agricultural land subject to the condition that the productive top-soil is stored separately and its reuse for plantation and agriculture.

(4) Specification of area fixed for extraction.—

(i) extraction or borrowing pits should be rectangular in shape with one side parallel to the centre line of the road;

(ii) no extraction or borrowing pits should be dug within 5 m of the edge of the right of way, after making due allowance for future development;

(iii) extraction or borrowing pits where other conditions permit, should be well drained to prevent the breeding of mosquitoes and to ensure efficient drainage, the bed level of the borrow pits should, as far as possible, slope down progressively towards the nearest cross drain, if any, and should not be lower than the bed of the cross drain.

(iv) when it becomes necessary to borrow earth from temporarily acquired cultivable lands, the depth of the borrow pits should not exceed 1.5 m and the top soil to a depth of 150 mm should be stripped and stacked aside, thereafter, soil may be dug out to a further depth not exceeding 1350 mm and used in forming the embankment and the top soil should then be spread back on the land.

(v) The Guidelines or Standard Operating Procedure as laid down in the extant construction codes or manuals regarding Borrow pits shall be adhered to.

(5) Site Specific Measures and environmental safeguards.—

(i) A 150 mm topsoil will be stripped off from the borrow pit and this will be stored in stockpiles in a secured designated area for height not exceeding 2 m and side slopes not steeper than 1:2 (Vertical: Horizontal) and the top soil shall be re-used for plantation and cultivation etc.

(ii) Borrowing of earth will be carried out up to a depth of 1.5 m from the existing ground level

(iii) Borrowing of earth will not be done continuously throughout the stretch.

(iv) Ridges of not less than 8 m widths will be left at intervals not exceeding 300 m.

(v) Small drains will be cut through the ridges, if necessary, to facilitate drainage.

(vi) At location where private owners desire their fields to be levelled, the borrowing shall be done to a depth of not more than 1.5 m or up to the level of surrounding fields.

(vii) Borrow area near to any surface water body will be at least at a distance of 15 m from the toe of the bank or high flood level, whichever is maximum.

(viii) Borrow pits located near settlements will be re-developed immediately after borrowing is completed. If spoils are dumped, that will be covered with a layer of stockpiled topsoil.

(ix) Borrow pits along the alignment shall be discouraged. If unavoidable the borrow pit should be minimum 5 m distance away from the edge of the Right of Way.

(x) Also, no pit shall be dug within the offset width from the toe of the embankment required as per the consideration of stability with a minimum width of 10 m.

5. Submission of information.—

The project proponent shall, from time to time, as may be required by the Central Government or the Committee furnish such information or report as it may direct.

6. Re-development of borrow areas.—

(1) The project proponent shall return the borrow pit sites to a safe and secure area, which the general public should be able to safely enter by securing borrow pits in a stable condition through rehabilitation process and by filling the borrow pit approximately to the road surface in a progressive manner

(2) The borrow areas will be rehabilitated by exercising suitable options as follows:—

(i) Borrow pits will be backfilled with rejected construction wastes (unserviceable materials) compacted and will be given a turfing or vegetative cover on the surface and where it is not possible, then excavation slope should be smoothened, and depression is filled in such a way that it looks more or less like the original ground surface.

(ii) during works execution, the project proponent shall ensure preservation of trees during piling of materials; spreading of stripping material to facilitate water percolation and allow natural vegetation growth; re-establishment of previous natural drainage flows; improvement of site appearance; digging of ditches to collect runoff; and plantation may be carried out wherever feasible or pit may be developed for water storage;

(iii) appropriate endemic plant species for the planting programme should be selected in consultation with the local Forest Department if the area is to be afforested and they should be regularly monitored, and mortality replacement be carried out as and when required;

(iv) The project proponent shall keep record of photographs of various stages i.e., before using materials from the location (pre-project), for the period borrowing activities (construction phase) and after rehabilitation (post development), to ascertain the pre and post borrowing status of the area.

7. Monitoring of extraction, sourcing or borrowing of ordinary earth.—

(1) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall carry out periodic monitoring before, during, and after extraction, sourcing, borrowing of ordinary earth for the linear project to ensure that the necessary environmental safeguards have been put in place as set out in this Appendix.

(2) The extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for the linear project shall be monitored till the extraction is carried out.

(3) An officer authorised in this behalf by the Central Government shall inspect the site and provide a closure report after ensuring the site has been redeveloped satisfactorily.

(4) The closure report shall be submitted along with comparative pre and post photographs and thereafter, the monitoring of the project shall not be required.'.

[F. No. IA3-22/5/2024-IA.III]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Note**.—**The principal notification was published in the Gazette of India, *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was last amended *vide* the notification number S.O. 523(E), dated the 29th January, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.03.18 14:57:51 +05'30'